आवश्यक / प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

1. उप निदशक मत्स्य
   कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. उप निदेशक मत्स्य
   गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सहायक निदेशक मत्स्य
   हरिद्वार / उत्तरकाशी / चमोली / टिहरी
   उधमसिहनगर / अल्मोड़ा / पिथारागढ़
4. जनपद मत्स्य प्रभारी
   देहरादून / रूद्रप्रयाग / बागेश्वर / चम्पावत / पौड़ी / नैनीताल।

संख्या– 374 / स्थानान्तन्तरण–2018 / 2017–2018 दिनॉक 18 अप्रैल,2018

विषयः– **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017(संख्या–01 वर्ष–2018) में निहित प्राविधानानुसार मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न संवर्गो के अधिकारियों / कर्मचारियों का वर्ष–2018 के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017(संख्या–01 वर्ष–2018) में निहित प्राविधानानुसार मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न संवर्गो के अधिकारियों / कर्मचारियों की सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में होने वाले स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारियों / कर्मचारियों की अवरोही कम (Descending order) में सूची का विवरण 15 अपैल,2018 तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड की वेबसाइड पर प्रदर्शित करने के निर्देश प्राप्त हुये है।

1. उक्त सूची का प्रकाशन उत्तराखण्ड सरकार की बेबसाइट www.uk.gov.in तथा विभागीय बेबसाईट www.fisheriesuk.org पर प्रदर्शित कर दिया गया है। समस्त उप निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य तथा जनपद मत्स्य प्रभारियें को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त बेबसाईट से सूचना को डाउनलोड कर अपने अधीन कार्यरत अधि० / कर्मचारियें को अवगत करा दें तथा भविष्य में स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूचनाओं हेतु उक्त बेबसाईटों का समय–समय पर अवलोकन करते रहे। **ध्यान रहें उक्त सूचना समयबद्व है किसी भी सूचना को विलम्ब / अधूरी / गलत प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी जिम्मेदार होगा।**
2. इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दिनॉक 15.04.2018 को प्रकाशित सूची अथवा अन्य सूचनाओं में यदि किसी अधि० / कमचारी को आपत्ति है तो इससे सम्बधित कार्मिक अपना प्रत्यावेदन सम्पूर्ण विवरण सहित अपने जिले के अधिकारी को प्रस्तुत करेंगा। कोई भी कार्मिक सीधे निदेशक मत्स्य को अपना प्रत्यावेदन प्रेषित नहीं करेगा। जनपदीय अधिकारी का ये दायित्व होगा कि वे ससमय समस्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन / प्रार्थना पत्रों को संकलित करते हुए अपने मण्डलीय अधिकारी की का अनुमोदन प्राप्त कर पर निदेशालय को प्रेषित करेंगें।
3. अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा संलग्न सूची में दर्शायी गयी समय सारणी तथा निदेशालय से दिये गये निर्देशों के कम मे अपने–अपने प्रार्थना पत्र / प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेंगें। अनायाश पत्राचार न किया जाय।
4. स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु उक्त बेबसाइट का उपयोग करें भविष्य में जनपदीय अधिकारी इस बात का उल्लेख न करें कि **सूचना देखी नहीं, ध्यान नहीं दिया।** जिन अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की प्रणाली अपनायी जायेगी सम्बन्धित की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्व कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेंगी। कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा0बी0पी0मधवाल)
निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड देहरादून।

Scanned by CamScanner

आवश्यक/शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

1. उप निदशक मत्स्य
कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

2. उप निदेशक मत्स्य
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

3. सहायक निदेशक मत्स्य
हरिद्वार/उत्तरकाशी/चमोली/टिहरी
उधमसिहनगर/अल्मोड़ा/पिथारागढ़।

4. जनपद मत्स्य प्रभारी
देहरादून/रूद्रप्रयाग/वागेश्वर/चम्पावत/पौड़ी/नैनीताल।

संख्या– 373 /स्थानान्तरण–2018/2017–2018 दिनॉक 18 अप्रैल,2018

विषयः– **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017(संख्या–01 वर्ष–2018) में निहित प्राविधानानुसार मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न संवर्गो के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विकल्प पत्र उपलवध कराये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्वन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017(संख्या–01 वर्ष–2018) में निहित प्राविधानानुसार मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न संवर्गो के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा अवधि विवरण के साथ स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी/कर्मचारियों की पदवार सूची (सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम) को दिनॉक 15.04.2018 को उत्तराखण्ड सरकार की वेवसाईट www.uk.gov.in तथा विभागीय वेवसाइट www.fisheriesuk. पर प्रदर्शित की जा चुकी है।

उक्त अधिनियम की समय सारणी के अनुसार दिनॉक 20 अप्रैल,2018 तक अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने है। सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अपने विकल्प पत्र भरकर जनपदीय अधिकारी तत्पश्चात मण्डलीय अधिकारी के माध्यम से विकल्प पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करें। ध्यान रहें सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विकल्प पत्र भरकर **दिनॉक 15 मई,2018 तक प्रत्येक दशा में** निदेशालय को प्राप्त हो जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त होने वाले विकल्प पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। जिन अधिकारियों/कर्मचारियें द्वारा पूर्व में विकल्प पत्र प्रस्तुत किये गये है, उनके द्वारा भी पुनः समय सारणी के अनुसार विकल्प पत्र भरे जायेंगें। स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उन्ही स्थानों का विकल्प पत्र प्राथमिकता कम में दिया जायेगा जो पद रिक्त है अथवा सम्भावित रिक्ति की श्रेणी में है। बिना रिक्ति वाले पद के विकल्प के स्थान पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यालध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद के सभी अधिकारी/कर्मचारियें के विकल्प पत्रों को मण्डलीय अधिकारी के माध्यम से एक साथ (कर्मचारियों की सूची सहित) निदेशालय को भेजेगें। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले इसके साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करें इस हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगें।

भवदीय

(डा0बी0पी0मधवाल)
निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड देहरादून।

Scanned by CamScanner

मत्स्य निदेशालय, देहरादून
पत्रांक 162
दिनांक 09/04/2018

संख्या– 418 /XV-3/2018-11(05)/2011

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य)　　　　देहरादूनः दिनांक 06 अप्रैल, 2018

विषय– उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1, वर्ष 2018) के अनुपालन में मत्स्य विभागान्तर्गत मत्स्य निदेशालय, मण्डलीय कार्यालयों, जनपदीय कार्यालयों तथा उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधीन संचालित मत्स्य प्रक्षेत्र/जलाशयों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु सुगम–दुर्गम स्थलों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–80/स्थानान्तरण–2018/2017–18, दिनांक 05 अप्रैल, 2018 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–30/XXX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, की धारा 5 (1) के अन्तर्गत मत्स्य पालन विभाग, उत्तराखण्ड में मत्स्य निदेशालय, मण्डलीय कार्यालयों, जनपदीय कार्यालयों तथा उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधीन संचालित मत्स्य प्रक्षेत्र/जलाशयों में तैनात अधिकारियों/कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु जनपदों का सुगम–दुर्गम स्थलों के अनुरूप चिन्हीकरण निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–4 के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र० सं०	जनपदों का नाम	जनपद अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय, जनपदीय कार्यालयों का विवरण	जनपद का चिन्हीकरण	दुर्गम/सुगम का निर्धारण का औचित्य
–1–	–2–	–3–	–4–	–5–
1.	देहरादून	1. कार्यालय निदेशक मत्स्य, धन्याड़ी, देहरादून एवं सचिव उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून 2. जनपदीय कार्यालय, मत्स्य, देहरादून।	सुगम	सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल एंव हवाई सेवा जनपद में उपलब्ध। अतः सुगम
2.	हरिद्वार	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, जनपद हरिद्वार	सुगम	———तदैव———
3.	टिहरी	कार्यालय सहायक निदेशक, मत्स्य, टिहरी	सुगम	सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जनपद में उपलब्ध तथा रेल सेवा से कम दूरी। अतः सुगम।
4.	उत्तरकाशी	कार्यालय सहायक निदेशक, मत्स्य उत्तरकाशी	दुर्गम	सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सेवा उपलबध परन्तु भौगोलिक परिस्थितियों तथा रेलवे व हवाई सेवा से अधिक दूरी के कारण दुर्गम की श्रेणी में।
5.	चमोली	कार्यालय सहायक निदेशक, मत्स्य गोपेश्वर (चमोली)	दुर्गम	———तदैव———

क्रमशः......2

Scanned by CamScanner

6.	रूद्रप्रयाग	जनपदीय कार्यालय, मत्स्य, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	———तदैव———
7.	पौड़ी	1. कार्यालय उप निदेशक मत्स्य, गढ़वाल मण्डल पौड़ी। 2. जनपदीय कार्यालय, मत्स्य, पौड़ी	दुर्गम	———तदैव———
8.	उधमसिंह नगर	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य रूद्रपुर उधमसिंहनगर।	सुगम	सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल एंव हवाई सेवा जनपद में उपलब्ध। अतः सुगम।
9.	नैनीताल	1. कार्यालय उप निदेशक मत्स्य, कुमायूँ मण्डल भीमताल (नैनीताल) 2. जनपदीय कार्यालय, मत्स्य, भीमताल (नैनीताल)	सुगम	सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जनपद में उपलब्ध तथा रेल सेवा से कम दूरी। अतः सुगम।
10.	अल्मोड़ा	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य अल्मोड़ा	सुगम	सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जनपद में उपलब्ध तथा रेल सेवा से कम दूरी। अतः सुगम।
11.	बागेश्वर	जनपदीय कार्यालय, मत्स्य, बागेश्वर।	दुर्गम	सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सेवा उपलबध परन्तु भौगौलिक परिस्थितियों तथा रेलवे व हवाई सेवा से अधिक दूरी के कारण दुर्गम की श्रेणी में।
12.	पिथौरागढ	जनपदीय कार्यालय, मत्स्य, पिथौरागढ़।	दुर्गम	———तदैव———
13.	चम्पावत	जनपदीय कार्यालय, मत्स्य, चम्पावत।	दुर्गम	———तदैव———

2— मत्स्य विभागान्तर्गत मत्स्य निदेशालय उत्तराखण्ड, मण्डलीय कार्यालयों, जनपदीय कार्यालयों तथा उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधीन संचालित मत्स्य प्रक्षेत्र/जलाशयों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–30/XXX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018) में प्रदत्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– ( )/XV-3/2018-11(05)/2011 (बजट),तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमाँऊ/गढ़वाल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या– 7608 /स्थानान्तरण–2018/2017–2018 दिनॉक 31मार्च, 2018

–:: कार्यालय आदेश::–

शासन के पत्र संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2007 दिनॉक 06 फरवरी,2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एंव उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–01वर्ष 2018) के प्राविधानानुसार मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड में वर्ष–2018 में होने वाले स्थानान्तरण हेतु एक स्थायी समिति का गठन किया जाना है जिसे निम्न प्रकार गठित किया जाता है:–

1. **निदेशक मत्स्य उत्तराखण्ड देहरादून– अध्यक्ष**
2. **उप निदेशक मत्स्य (नियो0),मत्स्य निदेशालय देहरादून– सदस्य**
3. **संयुक्त निदेशक,डेयरी विभाग उत्तराखण्ड– सदस्य**

2. समिति वर्ष–2018 हेतु प्रभावी स्थानान्तरण अधिनियम–2017(संख्या–01वर्ष 2018) के प्राविधानुसार जारी स्थानान्तरण अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार मत्स्य विभागान्तर्गत पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु संस्तुति करेगी जिसके आधार पर निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरण सुनिश्चित किये जायेंगें।

(डा0बी0पी0मघवाल)
निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या– 7608 /स्थानान्तरण–2018/2017–2018 तदिनॉक

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, मत्स्य उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त निदेशक डेयरी विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
3. उप निदेशक मत्स्य नियोजन मत्स्य निदेशालय देहरादून।

(डा0बी0पी0मघवाल)
निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड देहरादून।

Scanned by CamScanner